-पिता जैसिंग हि॰ व 1/3 जाति तेली सा॰ देह खा॰
रहन बदस्तुर।

उपरोक्तानुसार सहखातेदारो द्वारा बताये गए - हिस्से मजमे आम मे रखा गया, जिनके सही होने की पुष्टि की गई। मौके पर सहमती पत्र तैयार किया व उपस्थित के हस्ताक्षर कराये गए।

पत्रावली वास्ते निर्णय, दिनांक 27.06.2019 को पेश हो।

27.06.2019 पत्रावली पेश हुई। दिनांक 18.06.2019 के सहमतीपत्र, तहसीलदार बेगूं की रिपोर्ट व माननीय राजस्व मण्डल राज॰ अजमेर के आदेश / परिपत्र क्रमांक / BR / LR / NLRMP / F-126 / पार्ट-2 / 10164-96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसार DILRMP के तहत खातेदारो के हिस्से की घोषणा के तहत दिये गए निर्देशानुसार उक्तानुसार सहखातेदारों के हिस्से की घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से - कम हो।

27/6/19

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 50/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौडगढ़

वादी

बनाम

1. नन्दकिशोर पिता किशना तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
2. कन्हैयॉलाल पिता रूपा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
3. नाथूलाल रूपा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
4. कैलाशचन्द्र पिता रूपा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
5. कमलाबाई पिता रूपा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
6. लादूलाल पिता नन्दा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
7. छीतरलाल पिता नन्दा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
8. ओमप्रकाश पिता नन्दा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
9. प्रेमबाई पिता नन्दा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
10. प्रभूलाल पिता उँकारलाल तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
11. कन्याबाई पिता उँकारलाल तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
12. दाखीबाई पत्नि स्व. नन्दा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
13. खेमा पिता मोहनलाल तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
14. बलवीर पिता मोहनलाल तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
15. मंगलाबाई पिता मोहनलाल तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
16. रम्माबाई प.स्व. मोहनलाल तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
17. सोहनलाल पिता रूघनाथ तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
18. शांतिलाल पिता रूघनाथ तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
19. गीताबाई पिता रूघनाथ तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
20. गोदीया पिता उँकार तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
21. म्याचंद पिता हीरा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
22. घीसालाल पिता नाराण तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
23. मांगीलाल पिता नाराण तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
24. मथरी पिता नाराण तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
25. गंगा पिता नाराण तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
26. मांगीलाल पिता गंगाराम तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
27. सुरेश पिता शंकर तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
28. केसरबाई पिता शंकर तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
29. कनकाबाई पिता शंकर तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
30. झमकुबाई पत्नि स्व0. शंकर तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
31. नन्दू पत्नि स्व. जैसिंग तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
32. सत्तूलाल पिता जैसिंग तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
33. कैलाश पिता जैसिंग तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
34. अशोक पिता जैसिंग तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
35. रमेश पिता जैसिंग तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1से 35

निर्णय दिनांक : 27.06.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर. एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश / परिपत्र / क्रमांक / बीआर / एलआर /एन.एल.आर.एम.पी./एफ–126 /पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया,दिनांक 18.06.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित होने से सुना गया व निर्णय आदेश हेतु दिनांक 27.06.2019 को नियत की गई।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 850 दिनांक 31.05.2019 से अवगत कराया कि ग्राम नंदवाई के खाता संख्या 156 आ.नं. 947, 954, 955, 956, 957, 958,किता–6 रकबा 1.78 हैक्टर में दर्ज खातेदारो में हिस्से दर्ज नहीं है तथा सैटलमेन्ट जमाबंदी मेंउक्त खाता किशनलाल लखमा रूपा पिता सूरजमल खेमा गोदया रूगनाथ पिता उँकार दयाचन्द्र नारायण गंगाराम पिता हीरा पोखर प्यारा जयसिंह पिता बालु तेली सा. देह के नाम दर्ज होकर हिस्से दर्ज नहीं थे।

अतःसरकार का कार्यक्रम DILRMP के तहत खातो के हिस्से डालकर उन्हें ऑनलाईन किया जाना आवश्यक है। सरकार के आदेश क्रमांक 10164–96 के तहत उनके हिस्से करना आवश्यक होने के कारण आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 सह एल आर.एक्ट 136 के तहत घोषणा किये जाने की अनुशंषा की गई।

प्रतिवादीगण जरिये नोटिस तलब किया जाकर लोक अदालत कैम्प ग्राम नंदवाई पर दिनांक 27.06.2019 को रखाया गया, पत्रावली में समस्त प्रतिवादीगण उक्त तारीख पर उपस्थित आए जिन्हें कैम्प कोर्ट में सुना गया, प्रतिवादीगण उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि मौजा नंदवाई में वादवर्णित आराजी उनकी पुश्तैनी होकर नोला हीरा होकमा तीन भाइयो के नाम पर थी जिससे उक्त आराजीयात में प्रत्येक के 1/3–1/3–1/3 हिस्से बनते है। वाद में विरासत व अन्य नामान्तरण कार्यवाहीयो से वर्तमान खाता दर्ज ह,ुआ। इस बाबत मौकेपर नोला हीरा होकमा का सजरा बनाया गया व उसकी अनुरूप सजरे में हिस्से दर्ज किये गए जिस पर उपस्थित सभी पक्षकार सहमत हुए। कैम्प में उपस्थित अन्य मौतबीरान के जानकारी की गई जिस पर उन्होने सजरा अनुसार वारिसान व हक हिस्सा होना बताया। रिकोर्ड का अवलोकन किया गया, सेटलमेन्ट खाते से वर्तमान खाते तक की गइ समस्त नामान्तरण कार्यवाहीयॉ सजरा मुताबिक होना पाया गया, खातेदार खेमा पिता उँकार फोत से विरासत होकर वारिसान के नाम नामान्तरण संख्या 796 व 828 से दर्ज है। परन्तु लिपकीय भूल से मृतक खेमा का नाम दुबारा दर्ज होने से वर्तमान खाते से विलोपित किया जाना उचित होगा। प्रतिवादीगण में , से

(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

उपस्थित पक्षकारो की सहमति व अन्य मोतबीरान से जानकारी अनुसार व रिकोर्ड अवलोकन से मौजा नंदवाई खाता संख्या 156 सं. 2072 से 75 मे खेमा का नाम विलोपित किया जाकर खाते में खातेदारो के हिस्से की घोषणा किये जाने हेतु पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं रिकोर्ड का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया साथ ही राज्य सरकार के निर्देश DILRMP के तहत सहखातेदारान के संयुक्त खातो मे दर्ज हिस्सो को अलग अलग घोषित किया जाने के निर्देश होने एवं वाद वर्णित आराजीयात में सेटलमेन्ट के समय से ही वर्णित आराजीयात का खाता संयुक्त ही दर्ज राजस्व रिकोर्ड होने से सहखातेदारान के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाने की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा नंदवाई की खाता नं. 156 सं. 2072–75 में अंकित आराजी 947,954, 955, 956, 957, 958 किता–6 रकबा 1.78 हैक्टर भूमि में खातेदार नंदकिशोर पिता किशना 1/12, कन्हैयॉलाल, नाथूलाल, कैलाशचन्द्र, कमलाबाई पिता रूपा हिस्सा ब. 1/12, लादूलाल, छीतरलाल, ओमप्रकाश, प्रेमबाई पिता नंदा, दाखीबाई पत्नि स्व.नंदा हि.ब. 5/216 , प्रभुलाल, कन्याबाई पिता उॅकारलाल (माता नाथीबाई) हि. ब. 1/216, बलवीर, मंगलाबाई, पिता मोहनलाल, रम्माबाई पत्नि स्व. मोहनलाल हि.ब. 1/36, सोहनलाल, शांतिलाल, गीताबाई पिता रूघनाथ हि.ब. 1/18, गोदिया पिता उॅकार 1/18, म्याचन्द पिता हीरा 1/9, घीसालाल, मांगीलाल, मथरी, गंगा पिता नाराण हि.ब. 1/9, मांगीलाल पिता गंगाराम 1/18, सुरेश, केसरबाई, कनकोबाई पिता शंकर, झमकुबाई पत्नि स्व. शंकर हि.ब. 1/18, नंदू पत्नि स्व. जैसिंग,सत्तुलाल,कैलाश, अशोक, रमेश पिता जैसिंग हि.ब. 1/3 जाति तेली सा0देह खातेदार रहन बदस्तुर रखे जाने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगॅू को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

27/6/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगॅू जिला चित्तौड़गढ़

-----लगातार

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 50/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूं तहसील बेगूं जिला चितौडगढ़
वादी

बनाम

1. नन्दकिशोर पिता किशना तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
2. कन्हैयॉलाल पिता रूपा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
3. नाथूलाल रूपा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
4. कैलाशचन्द्र पिता रूपा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
5. कमलाबाई पिता रूपा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
6. लादूलाल पिता नन्दा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
7. छीतरलाल पिता नन्दा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
8. ओमप्रकाश पिता नन्दा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
9. प्रेमबाई पिता नन्दा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
10. प्रभूलाल पिता उॅकारलाल तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
11. कन्याबाई पिता उॅकारलाल तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
12. दाखीबाई पत्नि स्व. नन्दा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
13. खेमा पिता मोहनलाल तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
14. बलवीर पिता मोहनलाल तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
15. मंगलाबाई पिता मोहनलाल तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
16. रम्माबाई प.स्व. मोहनलाल तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
17. सोहनलाल पिता रूघनाथ तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
18. शांतिलाल पिता रूघनाथ तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
19. गीताबाई पिता रूघनाथ तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
20. गोदीया पिता उॅकार तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
21. म्याचंद पिता हीरा तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
22. घीसालाल पिता नाराण तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
23. मांगीलाल पिता नाराण तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
24. मथरी पिता नाराण तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
25. गंगा पिता नाराण तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
26. मांगीलाल पिता गंगाराम तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
27. सुरेश पिता शंकर तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
28. केसरबाई पिता शंकर तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
29. कनकाबाई पिता शंकर तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
30. झमकुबाई पत्नि स्व0. शंकर तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
31. नन्दू पत्नि स्व. जैसिंग तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
32. सत्तूलाल पिता जैसिंग तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
33. कैलाश पिता जैसिंग तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
34. अशोक पिता जैसिंग तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं
35. रमेश पिता जैसिंग तेली निवासी नंदवाई तह0 बेगूं

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौडगढ़)

---लगातार

Scanned by CamScanner

उपस्थित पक्षकारो की सहमति व अन्य मोतबीरान से जानकारी अनुसार व रिकोर्ड अवलोकन से मौजा नंदवाई खाता संख्या 156 सं. 2072 से 75 मे खेमा का नाम विलोपित किया जाकर खाते में खातेदारो के हिस्से की घोषणा किये जाने हेतु पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं रिकोर्ड का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया साथ ही राज्य सरकार के निर्देश DILRMP के तहत सहखातेदारान के संयुक्त खातो मे दर्ज हिस्सो को अलग अलग घोषित किया जाने के निर्देश होने एवं वाद वर्णित आराजीयात में सेटलमेन्ट के समय से ही वर्णित आराजीयात का खाता संयुक्त ही दर्ज राजस्व रिकोर्ड होने से सहखातेदारान के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाने की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी कां अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा नंदवाई की खाता नं. 156 सं. 2072–75 में अंकित आराजी 947,954, 955, 956, 957, 958 किता–6 रकबा 1.78 हैक्टर भूमि में खातेदार नंदकिशोर पिता किशना 1/12, कन्हैयॉलाल, नाथूलाल, कैलाशचन्द्र, कमलाबाई पिता रूपा हिस्सा ब. 1/12, लादूलाल, छीतरलाल, ओमप्रकाश, प्रेमबाई पिता नंदा, दाखीबाई पत्नि स्व.नंदा हि.ब. 5/216 , प्रभुलाल, कन्याबाई पिता उॅकारलाल (माता नाथीबाई) हि. ब. 1/216, बलवीर, मंगलाबाई, पिता मोहनलाल, रम्माबाई पत्नि स्व. मोहनलाल हि.ब. 1/36, सोहनलाल, शांतिलाल, गीताबाई पिता रूघनाथ हि.ब. 1/18, गोदिया पिता उॅकार 1/18, म्याचन्द पिता हीरा 1/9, घीसालाल, मांगीलाल, मथरी, गंगा पिता नाराण हि.ब. 1/9, मांगीलाल पिता गंगाराम 1/18, सुरेश, केसरबाई, कनकाबाई पिता शंकर, झमकुबाई पत्नि स्व. शंकर हि.ब. 1/18, नंदू पत्नि स्व. जैसिंग,सत्तुलाल,कैलाश, अशोक, रमेश पिता जैसिंग हि.ब. 1/3 जाति तेली सा0देह खातेदार रहन बदस्तुर रखे जाने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूं को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

27/6/19

(रमेश [illegible] मीणा/डिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner